कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

2. उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु वर्ष 2007–08 का वास्तविक व्यय एवं लाभान्वितों की संख्या तथा वर्ष 2008–09 हेतु वांछित वास्तविक प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

राजस्थान प्रदेश के निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के मैट्रिकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं पर शैक्षणिक सत्र 2008–09 हेतु वांछित वास्तविक प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 10.07.2008 तक सीधे ही मुख्य लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करें तथा एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करें। शालाओं से आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि आप अपने स्तर पर निर्धारित कर उन्हें सूचित करें। मैट्रिकोत्तर छात्रवृति प्रस्ताव शालाओं से गत वर्ष की भांति प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में ही लेवें एवं समेकित सूचना/प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित करें। समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित करें कि सभी पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र पूर्ण करवाकर एवं समस्त प्रमाण–पत्रों सहित निर्धारित तिथि तक अपने कार्यालय में पहुंचा देवें एवं आप समेकित प्रस्ताव (केवल निर्धारित प्रपत्र में) निश्चित दिनांक तक निदेशालय में मुख्य लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को पहुंचाना सुनिश्चित करें। छात्रवृति आवेदन स्वीकार करने से पहले यह भी सुनिश्चित करें कि वार्षिक आय प्रमाण–पत्र के लिए शपथ–पत्र के स्थान पर संबंधित गृह तहसीलदार या उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र संलग्न कर दिया गया है तथा जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावक राजकीय सेवा में अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में सेवारत है। उनके द्वारा आहरण वितरण अधिकारी या नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय उपरोक्तानुसार सभी अधिनस्थ विद्यालयों से पात्र छात्र/छात्राओं के समेकित प्रस्ताव/सूचना निर्धारित प्रपत्र में भेजेंगे एवं प्राप्त आवेदन पत्रों तथा प्रमाण पत्रों को अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे ताकि आडिट के समय उन्हें अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाया जा सके। निर्धारित दिनांक तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी व्यक्तिशः निर्धारित की जायेगी। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

ह. उप निदेशक, मा. शिक्षा, राजस्थान बीकानेर